



## एशियाई विकास बैंक

### भारत : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋण विस्तार

परियोजना का नाम	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋण विस्तार	
परियोजना की संख्या	1120-001	
कर्जदार/कम्पनी	कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड	
देश	भारत	
अवस्थिति	राष्ट्र-व्यापी	
अनुमोदित संख्या	7522/7522	
एडीबी सहायता का प्रकार/राशि	सामान्य पूंजी संसाधन	यूएस डॉलर 50.00 मिलियन अनुमोदित
रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास	
परिवर्तन के प्रेरक	लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण ज्ञान समाधान निजी क्षेत्र विकास	
सेक्टर/उप-सेक्टर	वित्त – समावेशी वित्त	
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कुछ लैंगिक तत्व	
जिम्मेदार एडीबी विभाग	निजी क्षेत्र प्रचालन विभाग	
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	निजी क्षेत्र वित्तीय संस्था प्रभाग	
जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	ब्रेसी, पामेला	
परियोजना प्रायोजक		
विवरण	कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के अपरिवर्तनीय डिबेंचर में \$150 मिलियन (आइएनआर के समतुल्य) तक सुरक्षित ऋण निवेश।	
उद्देश्य और दायरा	सीएफएल एडीबी के वित्तीय ऋण प्राप्तियों का उपयोग भारत में एमएसएमईज को वित्तीय ऋणों के वित्तपोषण के लिए करेगा। निधि के एक भाग का उपयोग घरेलू विनिर्माताओं की सहायता के लिए मेक इन इण्डिया पहल, एक सरकारी योजना, में शामिल एमएसएमईज को ऋण वित्त पोषण हेतु किया जायेगा।	
देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	एडीबी की रणनीति 2020 की मध्यावधि समीक्षा में, वित्तीय ढांचों, संस्थानों, तथा उत्पादों एवं सेवाओं के विकास हेतु मदद के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को एडीबी की सहायता पर जोर दिया गया है। प्रस्तावित लेनदेन, एनबीएफसी, भारतीय वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक, की वृद्धि में सहायता के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र विकास में योगदान करता है।	
<b>संरक्षा संवर्ग</b>		
पर्यावरण	एफआई	
असुरक्षित पुनर्वास	एफआई-सी	
स्वदेशी लोग	एफआई-सी	

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश	
पर्यावरण पहलू	सीएफएल का ईएसएमएस की वित्तीय मध्यस्थों के लिये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) की अपेक्षाओं के साथ संरेखित है। कम्पनी का नीति वक्तव्य अपनी सभी गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का प्रयास करता है। यह सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है कि गतिविधियां (किसी वित्तपोषित परियोजना की डिजाइन से रखरखाव तक) पर्यावरण, सामाजिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा के संबंध में लागू राष्ट्रीय कानूनों तथा किसी भी स्थापित मानक के अनुसार हैं।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	बहिष्कृत सूची के आधार पर कोई पूर्वानुमानित अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रभाव नहीं है।
स्वदेशी लोग	परियोजना से स्थानीय लोगों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।
स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श	परियोजना में प्राथमिक जोखिम धारक एमएसएमई कर्जदार हैं जो अपनी कार्यशील पूंजी और निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीएफएल से ऋण की मांग करेंगे।
डिजाइन, प्रसंस्करण और कार्यान्वयन सहायता हेतु समय सारणी	
अवधारणा मंजूरी	10 अप्रैल 2017
सम्यक् सतर्कता	
क्रेडिट समिति बैठक	14 अगस्त 2017 से 14 अगस्त 2017 तक
अनुमोदन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	17 अप्रैल 2018
परियोजना पृष्ठ	<a href="https://www.adb.org/projects/51120-001/main">https://www.adb.org/projects/51120-001/main</a>
सूचना हेतु अनुरोध	<a href="http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51120-001">http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51120-001</a>
दिनांक जिसको जनित किया गया	11 मई 2015

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है: क्योंकि पीडीएस प्रगति-में-कार्य होता है, इसके आरंभिक संस्करण में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।